



# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 5452 /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी

दिनांक 28/09/2017

विषय :- जी०एस०टी० (कर) का भुगतान सम्बन्धित इकाईयों के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

मुख्य अभियन्ता (वि०)/(सामग्री प्रबन्ध-1/सामग्री प्रबन्ध-2)  
(तकनीकी)/(वाणिज्य)/(जानपद),  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,  
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

अधीक्षक अभियन्ता (भण्डार)/  
अधिशाली अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,  
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

इस कार्यालय के पत्र सं०-5023/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी दिनांक 11.08.2017 के अन्तर्गत जी०एस०टी० कर के भुगतान प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किया गया है जिसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1. जी०एस०टी० कर का भुगतान सम्बन्धित इकाई/खण्ड द्वारा ही किया जायेगा। जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है:-
  - a. इकाई/खण्ड द्वारा माह अन्त के पश्चात् तीन दिनों के अन्दर सम्पूर्ण माह की विवरणी निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-‘अ’ प्रति संलग्न) में हस्ताक्षरित एवं Excel File मुख्यालय स्थिति जी०एस०टी० प्रकोष्ठ को भेजना अनिवार्य है। उदाहरणास्वरूप सितम्बर माह की विवरणी को 3 अक्टूबर तक भेजना अनिवार्य है। ई-मेल को भेजते समय Subject में **“GST Details-Unit Name-Month”** अवश्य लिखें।
  - b. जी०एस०टी० प्रकोष्ठ द्वारा उपरोक्त विवरणी के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित इकाई/खण्ड को उसकी जी०एस०टी० देयता का चालान Generate कर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। जिसका Printout तीन प्रतिलिपि में निकाल कर सम्बन्धित इकाई/खण्ड के आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम, पदनाम, दिनांक भरकर तथा उसको हस्ताक्षरित कर सम्बन्धित इकाई/खण्ड द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से बैंक में उसी माह की 15 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा। उदाहरणास्वरूप सितम्बर माह की जी०एस०टी० का भुगतान 15 अक्टूबर तक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में निगम पर किसी भी प्रकार के लगने वाले विलम्ब दण्ड/ब्याज के लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। (चालान का प्रारूप संलग्नक-‘ब’)
  - c. उक्त चालान के भुगतान के उपरान्त उस चालान की प्रति स्कैन (Scan) कर जी०एस०टी० प्रकोष्ठ को gstdvnl@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में जी०एस०टी० प्रकोष्ठ में श्री आर०के० गर्ग, सहायक लेखाधिकारी (9412748016) अथवा श्री वेद प्रकाश सिंह, सहायक लेखाकार (9412719640) को दूरभाष के माध्यम से अवगत करायें। ई-मेल को भेजते समय Subject में **“GST Challan-Unit Name-Month”** अवश्य लिखें।

2. जी०एस०टी० के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के पत्र संख्या एवं दिनांक :-

क्र० सं०	पत्रांक	विषय
1	5012/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी दिनांक 11.08.2017	पूर्व सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।
2	5023/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी दिनांक 11.08.2017	जीएसटी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

3	5221/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 30.08.2017	जीएसटी0 के लेखांकन हेतु लेखाशीर्ष (एजी कोड)।
4	5238/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 31.08.2017	जीएसटी के अन्तर्गत इकाईयों द्वारा निर्गत किये जाने वाले Tax Invoice, Invoice under RCM, Payment Voucher etc. की नम्बर सीरीज के सम्बन्ध में।
5	5247/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 01.09.2017	जीएसटी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश पुनः अनुस्मारित कराने के सम्बन्ध में।
6	5388/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 22.09.2017	जीएसटी लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण हेतु एवं पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा निर्देश।
7	5393/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 23.09.2017	पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं कार्य हेतु टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

अतः उक्त पत्राकों को आपकी सुगमता हेतु पुनः संकलित रूप से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

- संज्ञान में आया है कि जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ के द्वारा जारी किये गये Invoice No./Payment Voucher No./RCM Invoice etc. सीरीज को कुछ इकाईयों/खण्डों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है और न ही जी0एस0टी0 मासिक विवरणी में भरकर भेजा जा रहा है। अतः पत्रांक 5238/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 31.08.2017 का पालन करना सुनिश्चित करें।
- जी0एस0टी0 से सम्बन्धित सभी दिशा-निर्देश DVVNL की वेबसाइट [dvvnl.org](http://dvvnl.org) पर Upload किये जाते हैं अतः आप सभी समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

संलग्नक : यथोपरि।

  
(डी0के0 अग्रवाल)  
महाप्रबन्धक (वित्त)

पत्रांक 5452/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/

दिनांक 28/09/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झांसी।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।

संलग्नक : यथोपरि।

  
(डी0के0 अग्रवाल)  
महाप्रबन्धक (वित्त)

Form GST PMT -06 Payment Challan  
(See Rule 87(2))  
Challan for deposit of goods and services tax

चालान का प्रारूप

CPIN: 17090900188454

Challan Generated on : 20/09/2017  
13:33:51

Expiry Date : 05/10/2017

## Details of Taxpayer

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

E-mail Id: gstdvnl@gmail.com

Mobile No.: 9412748122

Name(Legal): DAKSHINANCHAL  
VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITEDAddress : URJA BHAWAN, 220 K.V.  
SUBSTATION,SIKANDRA, BYE PASS  
ROAD,AGRA,Uttar Pradesh,UPAGR,  
282007

## Details of Deposit (All Amount in Rs.)

Government	Major Head	Minor Head					
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
Government Of India	CGST(0005)	8551	-	-	-	-	8551
	IGST(0008)	-	-	-	-	-	-
	CESS(0009)	-	-	-	-	-	-
	Sub-Total	8551	0	0	0	0	8551
Uttar Pradesh	SGST(0006)	8551	-	-	-	-	8551
Total Amount		17102					
Total Amount (in words)		Rupees Seventeen Thousand One hundred Two Only					

## Mode of Payment

 E-Payment  Over the Counter(OTC)  NEFT / RTGS

## NEFT/RTGS

Remitting Bank	BANK OF BARODA
Beneficiary Name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	17090900188454
Name of beneficiary bank	Reserve Bank of India
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	RBIS0GSPMT
Amount	17102

Note: Charges to be separately paid by the person making payment.

## Particulars of depositor

Name	सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम भरे
Designation/Status(Manager,partner etc)	पदनाम लिखें
Signature	मोहर सहित हस्ताक्षर
Date	

## Paid Challan Information

GSTIN	
Taxpayer Name	
Name of the Bank	
Amount	
Bank Reference No.(BRN)/UTR	

CIN	
Payment Date	
Bank Ack No. (For Cheque / DD deposited at Bank's counter)	
<b>GOODS AND SERVICES TAX</b>	
Mandate Form for making GST Payment through NEFT/ RTGS Mode (See Rule ----)	
(Valid Till Date : 05/10/2017)	
I hereby authorize BANK OF BARODA to remit an Amount of Rs 17102 (Rupees in words) Rupees Seventeen Thousand One hundred Two Only through <input type="checkbox"/> NEFT <input type="checkbox"/> RTGS as per details given below : <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Debit my/our Account	
<b>DETAILS OF APPLICANT(REMITTER)</b>	
Name of the Remitter	DAKSHINANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Account Number	
Cheque Number	
Cheque Date	
Address	URJA BHAWAN, 220 K.V. SUBSTATION,SIKANDRA, BYE PASS ROAD,AGRA,Uttar Pradesh,UPAGR,282007
Contact No.	9412748122
<b>DETAILS OF BENEFICIARY</b>	
Beneficiary Name	GST
Beneficiary Account No.(CPIN)	17090900188454
Beneficiary Bank Name	Reserve Bank of India
Beneficiary IFSC Code(11-digit)	RBIS0GSTPMT
Amount	17102
	(..... मोहर सहित हस्ताक्षर .....) Signature
Date:	
<b>FOR BANK'S USAGE</b>	
Date and time of receipt of NEFT/RTGS request	
Transaction Amount	
NEFT/RTGS Charges	
Total Debit to Customer	
NEFT /RTGS initiation date & time	
NEFT/RTGS unique transaction number (UTR No.)	
<b>Instruction for Banks/Customer :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No change is allowed in the NEFT/RTGS details by the customer or the originating bank. The transaction is liable to be rejected in case of any change in the NEFT/RTGS details</li> <li>2. This NEFT/RTGS transaction should reach the destination bank before expiry of challan period. In case of any delay, the NEFT /RTGS transaction would be returned to the originating account. It would be the responsibility of the customer and the originating bank to ensure that the NEFT /RTGS remittance reaches the beneficiary account well before the expiry period and neither the GST Authorities nor Reserve Bank of India would be responsible for any delay.</li> </ol>	

